

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

सुधांशु शेखर राय,
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
सभी भवन प्रमंडल,
भवन निर्माण विभाग, बिहार।

पटना, दिनांक:-.....

विषय:- निर्माण कार्य श्रेणी की GST दर में वृद्धि (यथा 12% के स्थान पर 18%) के परिपेक्ष्य में राज्य सरकार के अन्तर्गत कार्य संविदा से संबंधित भुगतान हेतु प्रक्रिया का निर्धारण के संबंध में।

प्रसंग:- वित्त विभाग का ज्ञापांक-एम-4-10/2023-674/वि0, दिनांक-22.01.2024
महाशय,

प्रासंगिक पत्र के माध्यम से वित्त विभाग द्वारा निर्माण कार्य श्रेणी की GST दर में वृद्धि (यथा 12% के स्थान पर 18%) के परिपेक्ष्य में राज्य सरकार के अन्तर्गत कार्य संविदा से संबंधित भुगतान हेतु प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है।

अतः प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए निदेश है कि वित्त विभाग द्वारा उक्त निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार GST दर में वृद्धि (यथा 12% के स्थान पर 18%) के भुगतान हेतु नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जाय।

अनु0:-यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/-

(सुधांशु शेखर राय)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक:-

पटना/दिनांक-

प्रतिलिपि:-सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, भवन निर्माण विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक:- 848 (अ) 34

पटना/दिनांक- 24/1/24

प्रतिलिपि:-आई.टी. मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक...22/01/2024

विषय :- निर्माण कार्य श्रेणी की GST दर में वृद्धि (यथा 12% के स्थान पर 18%) के परिपेक्ष्य में राज्य सरकार के अन्तर्गत कार्य संविदा से संबंधित भुगतान हेतु प्रक्रिया का निर्धारण के संबंध में ।

वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) भारत सरकार की अधिसूचना के आलोक में दिनांक-01.07.2017 से प्रभावी माल एवं सेवा कर (Goods & Services Tax) के अनुरूप विभिन्न सेवाओं/भदों हेतु दर की अलग-अलग श्रेणियाँ निर्धारित है। इस क्रम में अधिसूचना संख्या-03/2022-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक-13.07.2022 (यथा, अंगीकृत) की कंडिका (A)(I)(a) एवं (A)(I)(c) द्वारा पूर्व की अधिसूचना संख्या-11/2017-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक-28.06.2017 की तालिका के क्रमांक-3 के सम्मुख अंकित कॉलम की कंडिका-(iii)(iv)(v)(va) एवं (vi) {यथा, कंडिका-xii में अंकित सहित} विलोपित करते हुए निर्माण कार्यों हेतु पूर्व निर्धारित 12% GST (SGST 6% एवं CGST 6%) की दर को संशोधित करते हुए 18% (SGST 9% एवं CGST 9%) किया गया है, जो दिनांक-18.07.2022 से प्रभावी है।

कतिपय विभागों/कार्य विभागों द्वारा संशोधित GST की दर के आधार पर निर्माण कार्यों के भुगतान की कार्यवाई के निमित्त मार्गदर्शन की मांग की गई ।

2. GST दर में उक्त वृद्धि के परिपेक्ष्य में राज्य सरकार के अंतर्गत निर्माण कार्यों से संबंधित भुगतान की प्रक्रिया निर्धारण के बिन्दु पर वित्त विभाग की वाणिज्य-कर विभाग एवं कार्य विभागों के पदाधिकारियों के साथ दिनांक-06.10.2023 को सम्पन्न बैठक के उपरांत भवन निर्माण विभाग से प्रस्ताव उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

3. अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग की अध्यक्षता में दिनांक-16.10.2023 को सम्पन्न बैठक में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन, पत्रांक-134 दिनांक-23.03.2023 में निहित गणना एवं दिशा-निर्देश के अनुरूप संवेदकों के अंतर राशि का भुगतान एवं इस हेतु पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होने संबंधी अनुशंसा की गई ।

उक्त अनुशंसा में निहित केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की गणना के आलोक पर GST की नई दर के परिपेक्ष्य में समायोजन एवं प्राक्कलन में प्रभावी वृद्धि का आकलन किये जाने संबंधी विवरण निम्नवत् है:-

Sl. No.	Type of Contracts	GST Calculations (For change in rate of GST w.e.f. the date prescribed by GST Authority)
1.	Works Contracts Maintenance/ Construction Works Contracts/ EPC Mode	The amount payable to Contractor as per agreement item inclusive of GST @ $r_1\%$ for contracts drawn on or before the prescribed date = W Hence, Amount (excluding GST component) = $W/(1 + r_1/100)$ Now, adjustable amount on account of change in rate of GST from rate $r_1\%$ to $r_2\%$ = $(r_2 - r_1)\%$ of $(W/(1 + r_1/100))$ Illustration:- Prescribed Date -- 18.07.2022 Prevailing GST rate before prescribed date, $r_1\%$ = 12% Revised GST rate from prescribed date, $r_2\%$ = 18% Amount paid to contractor before Prescribed date (on agreement rates) = ₹100.00 Hence, amount (Excluding GST Component) = 100/1.12 = ₹89.29 GST component = ₹10.71 Now, adjustable amount on account of change in rate of GST from 12% to 18% = 6% to 89.29 = ₹5.36

①

4. सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार के अंतर्गत निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन एवं भुगतान की प्रक्रिया निर्धारण का प्रस्ताव निम्नवत् है:-

i. दिनांक-18.07.2022 से लागू GST की दर (यथा, 18%) के कारण निर्माण कार्यों के अनुबंध/संविदा मूल्य में प्रभावी वृद्धि का आकलन उपर्युक्त कंडिका-3 की गणना के अनुरूप किया जायेगा।

ii. वैसे कार्य/योजनाएँ जिसमें 12% GST के आधार पर प्राक्कलन स्वीकृत है तथा किये गये कार्य के विस्तृत विपत्रों को दिनांक-18.07.2022 को या उसके बाद प्रस्तुत करते हुए भुगतान का दावा किया गया है, के मामलों में 18% GST के आधार पर अतिरिक्त राशि समावेशित किया जायेगा। परन्तु दिनांक-18.07.2022 के पूर्व के Billed Amount का भुगतान 12% GST के आधार पर अनुमान्य होगा।

iii. दिनांक-18.07.2022 से सभी नई योजनाओं की स्वीकृति 18% GST के आधार पर होगा।

iv. GST में उक्त बढ़े हुए दर के कारण परियोजना लागत में जुड़ी अतिरिक्त राशि पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता की परिधि से बाहर मानी जायेगी।

ज्ञापांक:-एम-4-10/2023...674/वि०,

पटना, दिनांक...22/01/2024

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव (संसाधन)

ज्ञापांक:-एम-4-10/2023...674/वि०,

पटना, दिनांक...22/01/2024

प्रतिलिपि:-विकास आयुक्त, बिहार/सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी एवं सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव (संसाधन)

ज्ञापांक:-एम-4-10/2023...674/वि०,

पटना, दिनांक...22/01/2024

प्रतिलिपि:-माननीय वित्त मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/विशेष सचिव के आप्त सचिव/श्री संजीव मित्तल, संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव (संसाधन)

ज्ञापांक:-एम-4-10/2023...674/वि०,

पटना, दिनांक...22/01/2024

प्रतिलिपि:-ई-गजट प्रशाखा/श्रीमती रश्मि रेखा, सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव (संसाधन)

सचिव (संसाधन)